

**राजकीय विभागों /प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों /शालाओं के लिए राजस्थान भू राजस्व
(संस्थाओं को स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ
अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन)**

1.	प्रार्थी विभाग का नाम		
2.	आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)		
3.	क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है यदि हां तो इसका विवरण		
4.	क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है.		
5.	प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है		
6.	विषयांतर्गत 1963 नियमों के तहत निर्धारित मानदंड.		
7.	यदि विभाग के द्वारा कोई मानदंड निश्चित किए गए हैं तो उसका विवरण		
8.	मापदंडों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदंड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य		
9.	आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण	तहसील का नाम	टोंक
		ग्राम का	
		खसरा नंबर	
		भूमि की किस्म	
		खसरा नंबर का कुल क्षेत्रफल	
		प्रस्तावित क्षेत्रफल	
		जमाबंदी खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है या नहीं	
10.	यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो	प्रस्तावित भूमि कमांड क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी मौका रिपोर्ट संलग्न करें)	
		पशु संख्या	
		प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि पशुओं के अनुपात में चरागाह भूमि पर्याप्त है	
		यदि नहीं तो चरागाह की वैकल्पिक व्यवस्था	
11.	भूमि नगर पालिका में स्थित है / ग्राम पंचायत में (नाम लिखें)		
12.	स्थानीय निकाय की निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें.		
13.	नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगरनियोजन विभाग की सहमति संलग्न करें.		
14.	क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है.		
15.	क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?.....		
16.	यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार रहेगा.		
17.	यदि निर्माण पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें.		
18.	पूर्व में सहमति प्राप्त नहीं होने का कारण.		
19.	जिला कलेक्टर की राय.		
20.	तहसीलदार की राय.		

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर

हस्ताक्षर तहसीलदार